Order Sheet [Contd.]

Case No.........201........

of or edin ;	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
7/2020	पुलिस आरक्षी केन्द्र ...छोटमा... से आरक्षक क्र0 ...राजेश जोशी... ने उनके आरक्षी केन्द्र के अपराध क्र0 ...294/2020 अंतर्गत धारा ...406, 408 IPC... के अपराध में अभियुक्त/गण ...सचिन वर्मा S/O रामलाल उ रामचरण वर्मा... ...उम्र - 25 वर्ष नि. 164 सुखदेव नगर, इन्दौर... को दिनांक ...22/07/20... को 12:15... बजे गिरफतार करना बताकर अभिरक्षा में प्रस्तुत किया तथा एक आवेदन पत्र मय केस डायरी के मामलें की विवेचना अपूर्ण होना बताकर दिनांक ...30/07/20 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। केस डायरी में अभियुक्त/गण की गिरफतारी की सूचना उनके परिजनों को दिए जाने का उल्लेख किया है। अभियुक्त/गण ने अपने गिरफतारी की सूचना अपने परिजनों को होना व्यक्त किया है तथा किसी भी प्रकार की पुलिस प्रताड़ना से इंकार कर अपने चिकित्सीय परीक्षण करवाएं जाने से भी इंकार किया है। धारा 54 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का चिकित्सीय प्रतिवेदन भी संलग्न है। AS अभियुक्त/गण को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। अभियुक्त/गण ने स्वयं को अपनी प्रतिरक्षा हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम बताया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुश्री मालती जोशी द्वारा मेमो प्रस्तुत किया । केस डायरी में अनुसंधान अधिकारी द्वारा कथित अपराधों में जो 07 वर्ष तक या उससे कम अवधि के कारावासा से दण्डनीय है, अभियुक्त/गण की गिरफतारी बाबत् धारा 41 (1) (ख) दं0प्र0सं0 के अनुसार अपने कारण अभिलिखित करते हुए इस आशय की चेक लिस्ट तैयार कर संलग्न की गई है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त/गण की गिरफतारी के संबंध में बताया गया कारण समुचित एवं समाधानप्रद प्रकट होता है। केस डायरी अनुसार प्रथम दृष्टया अभियुक्त/गण के विरूद्ध आगामी अनुसंधान हेतु पर्याप्त आधार प्रकट है । अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त/गण की आगामी दिनांक ...30/07/2020 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार की जाती है।	Sachin

धारा 3(1)(क) ... अप0क्र0 127/20 धारा ... निवेदन है कि दिनांक 18.07.2020 को थाना

Scanned with CamScanner

Date of order or proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

पुनःश्च

अभियुक्त/गण ने अपने गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजनों को होना व्यक्त किया है तथा किसी भी प्रकार की पुलिस प्रताड़ना से इंकार कर अपने चिकित्सीय परीक्षण करवाएं जाने से भी इंकार किया है।

अभियुक्त/गण का विधिवत जेल वारण्ट बनाकर उसे अस्थायी जेल शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास ग्राम असरावद खुर्द, जिला इंदौर जावें। केस डायरी वापस की जावें।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु 30/07/2020 पेश हो।

24/07/2020

(श्रीमती अंकिता शाही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पुनःश्च

इसी स्तर पर अधिवक्ता सुश्री मालती जोशी द्वारा अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया।

जमानत आवेदन पत्र पर फरियादी अरविंद गहलोत की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चौधरी द्वारा मय मेमो आपत्ति मय दस्तावेज पेश किए गये। आपत्ति की प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की गयी।

जमानत एवं आपत्ति पर वी0सी0 के माध्यम से उभयपक्ष को सुना गया।

दौरान तर्क अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से निरंतर यह तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा लगभग 15,000 रूपए फरियादी अरविंद गहलोत को फोन पे, गुगल पे के माध्यम से अदा किए गए है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी को लगभग साढे तीन लाख रूपए तक की राशि अदा कर दी गयी है एवं अभियुक्त द्वारा मात्र एक सवा लाख की राशि अदा किया जाना शेष है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि अभियुक्त उक्त राशि फरियादी को अदा करने हेतु तत्पर है किंतु कोविड 19 संक्रमण के कारण अभियुक्त उक्त राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ था जिस कारण से वह शेष एक सवा लाख की राशि फरियादी को अदा नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

आपत्ति कर्ता की ओर से तर्क के दौरान यह बताया गया कि वर्ष 2019 में अभियुक्त की बुआ द्वारा उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से यह शपथ किया गया था कि अभियुक्त फरियादी को समस्त राशि शपथ पत्र दिनांक 11.07.19 से पांच दिवस के भीतर अदा कर देगा परंतु अभियुक्त ने फरियादी को शपथ पत्र तस्दीक कराने के पश्चात भी राशि अदा नहीं की । इस आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन पर सुना गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 406 एवं 408 भा0द0स0 का अपराध इस आधार पर पंजीबद्ध किया गया है कि अभियुक्त ने फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 तक कुल 3300 उपभोक्तओं से कुल 5,28,000/–रूपए विद्युत बिल हेतु विद्युत मण्डल कार्यालय बेटमा में बेठकर कलेक्शन किया किंतु उक्त राशि न अभियुक्त द्वारा विद्युत कार्यालय बेटमा में जमा करायी गयी और ना ही उक्त राशि फरियादी को प्रदान की गयी। जबकि फरियादी अरविंद गहलोत द्वारा

Scanned with CamScanner

अभियुक्त को तेजस्वी ऑनलाइन केन्द्र में बिल कलेक्शन हेतु नियुक्त किया गया था।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को बेटमा वितरण केन्द्र में बिल कलेक्शन का कार्य करने हेतु तेजस्वी ऑनलाइन केन्द्र में फरियादी द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि अभियुक्त फरियादी के अधीन कार्यरत होकर बिल कलेक्शन का कार्य करता था। स्वयं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त की ओर से फरियादी को वर्तमान में भी एक सवा लाख की राशि अदा करना शेष है। उक्त राशि अदायगी के परिपेक्ष्य में फरियादी की ओर से शपथ पत्र दिनांक 11.07.19 की छायाप्रति पेश की गयी है। जिसके अनुसार अभियुक्त की ओर से उनकी बुआ कुमारी लीला वर्मा ने यह शपथ दी थी कि अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक से 5 दिवस के भीतर समस्त राशि फरियादी को अदा कर दी जावेगी। दौरान तर्क अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त शपथ पत्र दिनांक 11.07.19 को विवादित नहीं किया गया है एवं मात्र यह तर्क किया गया है कि लॉकडाउन होने से रूपयों की व्यवस्था न होने के कारण अभियुक्त फरियादी को समस्त राशि अदा करने में असमर्थ था। अभियुक्त की ओर से किए गए उक्त तर्क के संबंध में यह लेख किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा माह मार्च 2020 से लॉक डाउन घोषित किया गया था जबकि प्रस्तुत शपथ पत्र 11.07.2019 का है। शपथ पत्र दिनांक से मार्च 2020 से लगभग 8 माह का समय अभियुक्त के पास राशि अदायगी हेतु था परंतु उक्त 8 माह में अभियुक्त की ओर से फरियादी को समस्त राशि अदायगी हेतु क्या प्रयास किए गए इस संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्क एवं दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में यह प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि अभियुक्त की ओर से फरियादी को रूपए अदा किए जाने थे परंतु अभियुक्त द्वारा समस्त राशि फरियादी को अदा नहीं की गयी। अभियुक्त की ओर से फरियादी को कितने रूपए अदा किए गए एवं कितने रूपए अदा किए जाना शेष है उक्त तथ्य साक्ष्य की विषय वस्तु है जिसपर प्रकरण के इस प्रक्रम पर कोई टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है परंतु केस डायरी एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत मौखिक तर्क एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रकट है कि फरियादी अरविंद गहलोत के अधीन कार्यरत रहते हुए अभियुक्त द्वारा फरियादी के कार्यो के अंतर्गत रूपए प्राप्त किए गए किंतु उक्त समस्त राशि फरियादी को अदा नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अधिरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत का

Scanned with CamScanner

लाभ दिया जाना उचित दर्शित नहीं है। फलस्वरूप प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त को विधिवत जेल वारण्ट तैयार कर अस्थायी जेल शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, ग्राम असरावद खुर्द जिला इंदौर भेजा जावे। वारण्ट पर इस आशय का टीप अंकित हो कि अभियुक्त का कोविड 19 जांच कराने पश्चात जेल दाखिल किया जावे।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.07.2020 को पेश हो।

27/07/2020

(श्रीमती अंकिता शाही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner